



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 श्रावण 1947 (श10)

(सं0 पटना 1402) पटना, मंगलवार, 19 अगस्त 2025

पर्यटन विभाग

अधिसूचना

12 अगस्त 2025

विषय:—बिहार पर्यटन नीति मार्गदर्शिका 2024 में संशोधन किये जाने के संबंध में।

सं० पर्य०वि०(स्था०)—31/2014 खण्ड—IV—2462—बिहार पर्यटन नीति 2023 के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु संशोधित बिहार पर्यटन नीति मार्गदर्शिका 2024 विभागीय अधिसूचना संख्या— 1767 दिनांक— 13.06.2025 के द्वारा निर्गत की गई थी। इस मार्गदर्शिका में बिहार पर्यटन नीति 2023 के अंतर्गत स्वीकृति प्राप्त परियोजनाओं/ईकाईयों के माध्यम से बिहार पर्यटन के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु नये प्रावधान शामिल किये गये हैं। साथ ही द्वितीय चरण (वित्तीय) की स्वीकृति हेतु किये जाने वाले आवेदन के साथ वांछित दस्तावेजों की सूची में भी संशोधन किया गया है।

2. बिहार पर्यटन नीति मार्गदर्शिका 2024 में किये गये संशोधन :-

क्र.	नये प्रावधान	संशोधित मार्गदर्शिका के प्रावधान
1		- कडिका-6(e) – Approved units availing Capital Subsidy/ Interest Subvention and Other fiscal incentives under the policy shall prominently display within the premises that they have been incentivized under the Bihar Tourism Policy in the following manner- Incentivized under Bihar Tourism Policy 2023 or "बिहार पर्यटन नीति 2023 के तहत प्रोत्साहन प्राप्त" - कडिका-6(f) – Approved units availing Capital Subsidy/Interest Subvention and Other fiscal incentives under the policy, should place an audio-visual system at the entrance or in other prominent

क्र.		संशोधित मार्गदर्शिका के प्रावधान
		public areas/common space positioned at strategic location to ensure clear visibility to visitors. The audio-visual system shall showcase content provided by Tourism Department from time to time promoting Bihar Tourism, and such display shall be made available free of cost. Bihar tourism shall also be prominently promoted through television displays in guest rooms of the unit.
2	कंडिका -9 में उल्लेखित Stage-02(Financial clearance) आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले वांछित दस्तावेजों की सूची, S.N-05-Project Appraisal Report by Bank/FI/CAG Empaneled CA Firms.	- कंडिका-9 में उल्लेखित Stage-02 (Financial Clearance) आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले वांछित दस्तावेजों की सूची, S.N-05 - Project Appraisal Report by Bank/FI.

3. इस संबंध में पूर्व में निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या 1767 दिनांक 13.06.2025 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

4. उपरोक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

5. उपरोक्त वर्णित प्रावधान निर्गत अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होंगे।

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित कर इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1402-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>